

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2019/00316

सहायक कलेक्टर

(S.D.O.) बालोतरा

ईश्वरराम उर्फ ईश्वरलाल

बनाम लक्ष्मी

क्रिम मुकदमा

08,89 R.T.A

नं. 113

तन. 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म को लागूत में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

13.9.19

वादी / वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री अचलराम बोरी ने अन्तर्गत धारा 08,89 R.T.A का पेश किया। जिस पत्र कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तमिल / जवाबदावा दिनांक 25.9.19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

25.9.19

वारी वकील उपस्थिति। उत्रिनारी से जारी सम्मन वाद नामील जजरी 530.माव जजरी से सम्मन है पत्रावली 26.9.19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लक्ष्मी

26.9.19

Cuvilly

पत्रावली पेश हुई। वकील उत्रिनारी उपस्थित, उत्रि जारी गण श्री मीर के वकील श्री विडम शशिषा ने बरहसगना मय ईकनामी जवाब उत्रिनारी गण श्री मीर ने पेश किया जो शामिल निरूत रहे।

बरहसगना बालोतरा व उत्रिनारी गण ने आपसी राजीनामा पेश कर स्पष्ट किया कि जारी गण श्री व उत्रिनारी सं. 1.14.4 के एकपुनर्निर्दिशारी त्रोगायम जजरी में को भर्त रहे हैं। वाद पत्र कृषि श्रमिण संजुक्त हिन्दू करिनार की सम्पत्ति रही है, किन्तु सदरबन के उत्रि श्रमिण मन्केले त्रोगायम के नाम रवि हो गई। जबकि उत्रि श्रमिणों ने उत्पेक जारी गण का 1/6, 1/6 हिस्सा रहा व है जोष 1/6 हिस्सा उत्रिनारी सं. 1.14.4 का है। आफिक राजीनामा वाद पत्र श्रमिण स्वदरा सं. 958, 1290/490, 1629/497,

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

ईश्वरराम
ईश्वरलाल

रूपार (4)
Intermittent

लक्ष्मी

1668/498 कुल रकबा 22.03 बीघा मैजा
 बालोचरा पटवार अर्कित बालोचरा उपम में
 उत्पेक वाली गण को 1/6, 1/6 हिस्से का रवादार
 घोषित किया जाने व गेब 1/6 हिस्सा उत्तरी
 सं. 1 वा 4 के नाम रखा जाने। राजीवाम
 बाद पंच तरीक कर शामिल किल
 किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली के हल
 पत्रावली, राजीवाम का अवलोकन व अद्यपन
 किया, पत्रावली के अवलोकन व अद्यपन तथा
 राजीवाम की रवादा के अनुसार सभी परमाण
 सुरापराम के कारिका है।

शुक्ति परमाण के साथ चैद्य
 से राजीवाम हुआ है। उत्तरी गण को
 उनके नाम सर्व शुक्ति में जारीगण का काम
 जेठ रवादार सर्व करने में कोई आपनी नहीं
 होना चाहिए किया है।

बाद में जारीगण का कद अर्कित
 राजीवाम स्वीकार किया जाकर कुषि शुक्तिरवलय
 सं 958 रकबा 15.19 बीघा, रवसय सं 1230/490
 रकबा 02.02 बीघा, रवसय सं 1629/497 रकबा
 02.15 बीघा, रवसय सं 1668/498 रकबा 01.07 बीघा,
 कुल रकबा 22.03 बीघा सरहद मैजा बालोचरा
 पटवार क्षेत्र बालोचरा उपम की रवादी में जारीगण
 सं 01 वा 05 उत्पेक को 1/6, 1/6 हिस्से का अर्कित 1/6
 हिस्से का उत्तरी सं 01 वा 04 का रवादार शिन्ट
 घोषित किया जबर शही अर्कित रैकड में अमल रयमड
 किया जाने। शही अर्कित डिक्की फर्मा ली हो।

पत्रावली के हल सुमल होकर दारिजल
 पत्र हो

सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोचरा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- रोहित कुमार आर.ए.एस

वादीगण

1. ईश्वरराम उर्फ ईश्वरलाल, 2. किशनलाल, 3. हड़मानराम
4. गोविन्दराम 5. रूपाराम पुत्रान खुशालाराम जातियान
माली सभी निवासियान बालोतरा तह. पचपदरा

व नाम

प्रतिवादीगण

1. लक्षमण 2. मलाराम 3. नारायणराम पुत्रान तोगाराम
4. फुलीदेवी पत्नि तोगाराम जातियान माली सभी निवासियान
बालोतरा तहसील पचपदरा 5. राजस्थान राज्य जरिये
भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

वाद हेतु घोषणा अर्न्तगत धारा 88, 89, रा. का. अ.।

मुकदमा नम्बर - 113/2019

निर्णय दिनांक - 26.09.2019

वादीगण की ओर से अधिवक्ता अचलाराम थोरी व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता विक्रम आशिया की उपस्थिति में इस वाद में आदेश दिया जाता है, और डिक्री दी जाती है, कि- माफिक राजीनामा तस्दीक कर सरहद मौजा बालोतरा, पटवार हल्का बालोतरा प्रथम की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 958 रकबा 15.19 बीघा, खसरा सं. 1290/490 रकबा 02.02 बीघा, खसरा सं. 1629/497 रकबा 02.15 बीघा, खसरा सं. 1668/498 रकबा 01.07 बीघा कुल रकबा 22.03 बीघा में वादी सं. 1 ईश्वरराम उर्फ ईश्वरलाल का 1/6 हिस्सा का, इसी अनुसार वादी सं. 2 किशनलाल का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 03 हड़मान का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 04 गोविन्दराम का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 05 रूपाराम को 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा शेष 1/6 हिस्सा प्रतिवादी 01 ता 04 के हिस्से में रखते हुए खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकॉर्ड में अमलदरामद हो, खर्चा अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 26.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा

लगाकर डिक्री जारी की गई है।



सहायक कलेक्टर
(**S.D.O.** बालोतरा)
(रोहित कुमार आर.ए.एस)

सहायक कलेक्टर बालोतरा